पूर्व मध्य रेल

संरक्षा बुलेटिन नं0–01/2025

कार्यालय
महाप्रबन्धक/संरक्षा
हाजीपुर

दिनांक 27.01.2025

पत्र सं0– ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/01/2025

विषयः सोनपुर मंडल के भगवानपुर स्टेशन पर रेलपथ मशीन के शंटिंग के दौरान अवपथन होने के संबंध में ।

1. विषय प्रवेशः–

दिनांक 23.11.2024 को सोनपुर मंडल के भगवानपुर स्टेशन पर लाइन नं0 05 से मुजफ्फरपुर की तरफ से शंटिंग कर तीन मशीन DGS+MFI+BCM मशीन को लाइन नं0 01 में लेने के पश्चात् 10.20 बजे डाउन लाइन में मुजफ्फरपुर की तरफ कार्य करने हेतु ब्लॉक मॉगा गया । कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन नं0 01 से लाइन नं0 02 में MFI+DGS मशीन लेने हेतु शंटिंग आदेश जारी किया गया । शंटिंग कार्य हेतु शंट सिगनल को ऑफ किया गया, जिसके अनुपालन में हाजीपुर साइड से DGS मशीन शंट सिगनल के रूट को पार कर मेन लाइन में खड़ी हो गयी लेकिन दूसरे मशीन के द्वारा पहली मशीन के जाने के बाद भी मूवमेंट नहीं किया गया और यह कुछ समय तक यथावत खड़ी रही । फलतः शंट सिगनल का रूट रिलीज होने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा, बिना यह सुनिश्चित किये कि दोनों मशीन मेन लाइन में आ गयी है या नहीं, EI पैनल द्वारा कांटा सं0 57 को नार्मल करने के लिए Command दे दिया गया । इसी बीच दूसरा मशीन भी चल दिया और जब तक पॉइंट्स ऑपरेट होता तब तक MFI मशीन आगे बढ़ गया था और उसके दो चक्के ट्रैप स्विच पर पहुँच गया था । चूँकि प्वांइट को नार्मल का Command दिया हुआ था फलतः कांटा सं0 57 नार्मल स्थिति में आ गया, जिसके कारण MFI मशीन अवपथित हो गया ।

2. बरती जानेवाली सावधानियॉः–

1. इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आवश्यक है कि एक साथ एक से अधिक रेल पथ मशीनों को समूह या झुंड में स्टेशन से खुलाने या स्टेशन में प्रवेश कराने के समय संबंधित कॉटे को क्लैंप किया जाना चाहिए और अंतिम मशीन के चले जाने/प्रवेश कर जाने के बाद ही संबंधित कॉटे के क्लैंप को खोला जाना चाहिए ।

2. रेल पथ मशीन या मशीनों के समय शंटिंग का पूरा विवरण लिखित रूप में संबंधित रेलपथ निरीक्षण अथवा मशीन पर्यवेक्षक से लेकर शंटिंग ओदश, जहॉ आवश्यक हो, जारी किया जाना चाहिए तथा मशीन ऑपरेटर तथा संबंधित शंटमैन/पॉइंट्समैन को अच्छी तरह से पूरे मूवमेंट का विवरण समझा दिया जाना चाहिए ।

3. यदि एक से अधिक रेल पथ मशीनों के शंटिंग की आवश्यकता हो, तो उस स्थिति को छोड़कर जिसमें कि सभी मशीन एक साथ जुड़े हों, उसे एक यूनिट मानकर शंटिंग किया जाएगा, अन्यथा प्रत्यक रेलपथ मशीन को एक अलग वाहन माना जाएगा और प्रत्येक के लिए शंटिंग की प्रकिया अलग–अलग करनी चाहिए, अर्थात् एक मशीन की शंटिंग प्रकिया पूरी करने के बाद ही दूसरे मशीन को शंटिंग हेतु आदेशित किया जाना चाहिए ।

4. एक से अधिक ट्रैक मशीन की शंटिंग के दौरान पॉइंट्समैन/पोर्टर द्वारा दिखाये जा रहे हाथ सिगनल के संकेत के अनुरूप ही ट्रैक मशीन चालक द्वारा मशीन का परिचालन किया जाना चाहिए ।

उक्त का सर्व सम्बन्धित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । मंडलों के सम्बन्धित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरिक्षण के समय इसका अनुपालन अवश्य देखें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो ।

सुनील कुमार 27.01.25

(सुनील कुमार)

उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यातायात

कृते महाप्रबंधक/संरक्षा

प्रतिलिपिः—

1. महाप्रबन्धक के सचिव— महाप्रबन्धक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबन्धक के उप सचिव— अपर महाप्रबन्धक महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुपरिप्र0, प्रमुई./पूमरे/हाजीपुर ।
4. मंडल रेल प्रबन्धक/धनबाद, डीडीयु, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. वमंपरिप्र0, वमंसंधि0, वरि0मं0वि0ई0(परि0)/धनबाद, डीडीयु, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी।